

फा. सं. 15/1/2022-सतर्कता

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
सतर्कता अनुभाग

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: २३ मई, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष, एसबीआई, मुम्बई

अध्यक्ष, एलआईसी, मुम्बई

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ईडी, (प्रशासन एवं कार्मिक प्रबंधन विभाग), आरबीआई, मुम्बई

ईडी, एनएचबी/आईआईएफसीएल/आईएफसीआई लि./सिडबी/एकिजम बैंक/नाबार्ड

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद पर नियुक्ति।

महोदया/महोदय,

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों(पीएसबी), सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) तथा वित्तीय संस्थाओं(एफआई) में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा व्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।

2. मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के संभावित पद जो निकट भविष्य में रिक्त होने वाले हैं, को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

संगठन की श्रेणी	क्र. सं.	संगठन का नाम	रिक्ति की स्थिति *
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां	1.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	दिनांक 01.06.2023 को रिक्त होगा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.	यूको बैंक	दिनांक 01.11.2023 को रिक्त होगा
	3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	रिक्त

* तथापि, रिक्ति स्थिति संभावित है तथा इसे बाद में संशोधित किया जा सकता है/बढ़ाया जा सकता है।

3. सीवीओ, जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे रहे हैं, के लिए वेतनमान/परिलब्धियों की पात्रता

सीवीओ के पद पर चयनित अधिकारी अपने मूल संगठन में अपने मौजूदा वेतन के समतुल्य तथा अपने मूल वेतन के 10% के समतुल्य प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करेंगे। वे प्रतिनियुक्ति वाले संगठन में अपने से एक उच्च पद के लिए अनुज्ञेय परिलक्षियों के भी पात्र होंगे (परिपत्र संख्या 14/11/2020-सतर्कता, दिनांक 28.07.2021)।

4. पात्रता

i. पीएसबी में सीवीओ की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड-

- (क) पीएसबी (एसबीआई सहित), जिनमें मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के पद सृजित किए गए हैं, के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम);
- (ख) आरबीआई/नाबार्ड के सीजीएम;
- (ग) एफआई में ईडी;
- (घ) पीएसबी के महाप्रबंधक;

जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा शेष हो, वे पीएसबी में सीवीओ के पद के लिए आवेदन देने हेतु पात्र हैं।

ii. पीएसआईसी में सीवीओ की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड-

- (क) पीएसबी (एसबीआई सहित), जिनमें मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के पद सृजित किए गए हैं, के सीजीएम;
- (ख) आरबीआई/नाबार्ड के सीजीएम;
- (ग) एफआई में ईडी;
- (घ) एलआईसी के ईडी/अंचल प्रबंधक;
- (ङ) पीएसबी के महाप्रबंधक;
- (च) पीएसबी में तीन वर्ष का अनुभव (डीजीएम के रूप में) रखने वाले डीजीएम;

जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा शेष हो, वे पीएसआईसी में सीवीओ के पद के लिए आवेदन देने हेतु पात्र हैं।

iii. एफआई में सीवीओ की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड-

- (क) पीएसबी (एसबीआई सहित), जिनमें मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के पद सृजित किए गए हैं, के सीजीएम;
- (ख) आरबीआई/नाबार्ड के सीजीएम;
- (ग) एफआई में ईडी;
- (घ) पीएसबी के महाप्रबंधक;
- (ङ) पीएसबी में तीन वर्ष का अनुभव (डीजीएम के रूप में) रखने वाले डीजीएम;

जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा शेष हो, वे एफआई में सीवीओ के पद के लिए आवेदन देने हेतु पात्र हैं।

iv. अधिकारी अपने मूल संगठन में सीवीओ के पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

5. चयन प्रक्रिया

सीवीओ के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन सरकार द्वारा सीवीसी से परामर्श करके उनके सेवा रिकार्ड तथा चयन समिति के साथ वार्तालाप के आधार पर किया जाएगा।

6. विकल्प का प्रयोग

अभ्यर्थियों को पैरा 2 में सूचीबद्ध पदों में से उनके द्वारा आवेदन किए जाने वाले पदों का विशेष उल्लेख करना चाहिए तथा आवेदन किए जाने वाले पदों में प्राथमिकता क्रम को सूचित करना चाहिए। अभ्यर्थियों की विभिन्न संगठनों में तैनाती मेधा तथा अभ्यर्थी की प्राथमिकता, जहां तक संभव होगा, के आधार पर होगी। तथापि, इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होगा।

7. आवेदनों को अग्रेषित करना

संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे इच्छुक अधिकारियों के आवेदनों/नाम को संलग्न प्रारूप में उनके पूर्ण जीवन-वृत्त और विगत पांच वर्ष की उनकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की (सभी तरह से पूर्ण) प्रमाणित प्रतियों के साथ दिनांक 20.06.2023 को या इससे पहले इस विभाग को भिजवा दें। इसके अलावा, इच्छुक अधिकारियों का नाम भेजते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि:

- (क) इस कार्यभार हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की सेवाओं को 03 वर्षों तक के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है; तथा
- (ख) (i) दिनांक 20.06.2023 से पूर्व से रिक्त अथवा रिक्त होने वाले सीवीओ के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अर्थात् दिनांक 20.06.2023) को अभ्यर्थी की कम से कम 03 वर्ष की सेवा अवधि शेष होनी चाहिए।
(ii) दिनांक 20.06.2023 के पश्चात रिक्त होने वाले सीवीओ के पदों के लिए आवेदकों के पास पद के रिक्त होने की तिथि पर कम से कम 03 वर्ष की सेवा अवधि शेष होनी चाहिए।
- (ग) वे सतर्कता के दृष्टिकोण से दोषमुक्त हों;
- (घ) उन अधिकारियों, जो विवर्जन की समयावधि से गुजर रहे हैं, का नाम प्रायोजित नहीं किया जा सकता है।
- (ङ) ऐसे अधिकारी, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उनके करियर में कोई बड़ी अथवा छोटी शास्ति लगायी गयी थी, वे सीवीओ के पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं और इसलिए, उनके आवेदन अग्रेषित नहीं किए जाएं।

- 8. इन पदों के लिए एक बार आवेदन अग्रेषित किए जाने के उपरांत अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अपना नाम वापस लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, विचार करने हेतु नाम भेजते समय आवेदकों से यह शपथ-पत्र प्राप्त किया जाए कि एक बार सीवीओ के पद के लिए नामित किए जाने का निर्णय लिए जाने के उपरांत वे किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारी से अपना नाम वापस नहीं लेंगे। इन पदों के लिए

आवेदन भेजते समय अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ इस शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) की प्रति भी संलग्न की जाए।

9. इन पदों में किसी भी पद के लिए चयनित किए जाने पर संबंधित अधिकारी को सीवीओ के नए पद / कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। तीन सप्ताह के पश्चात कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, या दी गई तारीख तक इस कार्यभार हेतु निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट करने में असमर्थ होने पर उसके मूल संगठन के द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित करते हुए किसी भी संगठन में प्रतिनियुक्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप अनुबंध (फार्म 1, 2, 3) में उपलब्ध है।

10. इच्छुक अधिकारी इस संबंध में सूचना देने के लिए अपने आवेदन की अग्रिम प्रति vigilance-dfs@nic.in पर ई-मेल के द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग को भेज सकते हैं। तथापि, उनके अधिकारिक चैनल के माध्यम से आवेदन (हार्ड कॉपी) प्राप्त होने पर ही उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाएगा।

आपका

संलग्न: निर्धारित फार्म (03 संख्या)


(श्रीकावंत नामदेव)

निदेशक (सतर्कता)

दूरभाष: 011-23742100

प्रतिलिपि: निदेशक/एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर इस परिपत्र की प्रति अपलोड की जाए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों(पीएसबी)/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीवीओ) के पद पर
नियुक्ति

आवेदन प्रपत्र

फोटोग्राफ

1.	आवेदक का नाम				
2.	जन्म तिथि				
3.	आवेदन की अंतिम तिथि को आयु				
4.	अधिवर्षिता की तिथि				
5.	वर्तमान धारित पद				
6.	संगठन का नाम जहाँ तैनात है				
7.	वर्तमान वेतन और वेतनमान				
8.	शैक्षिक और पेशेवर अर्हताओं का विवरण (कालक्रमानुसार)		कृपया अनुबंध लगाएं।		
	वर्ष से	वर्ष तक	पाठ्यक्रम का नाम	बोर्ड/ कालेज/ विश्वविद्यालय/ संस्थान	विषय
9.	नियमित सेवा के वर्ष				
10.	पिछले दस वर्ष का कार्यानुभव (कृपया अनुबंध लगाएं।)				
	क्रम सं.	नियमित आधार पर	से धारित पद	तक	दायित्वों का स्वरूप
					सतर्कता /अनुशासनात्मक मामलों में अनुभव
11.	डाक का पता	स्थायी: वर्तमान: व्यक्तिगत संपर्क संख्या और ई मेल आईडी			
12.	आवेदक से प्रमाण पत्र: मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन फार्म में मेरे द्वारा दिया गया व्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं इस प्रतिनियुक्ति पद के लिए पात्र हूँ। तारीख: स्थान :				
					आवेदक का हस्ताक्षर
13.	नियोक्ता से प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीद्वारा प्रस्तुत व्यौरे की जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है और यह कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ना तो लंबित है, ना ही				

	<p>विचाराधीन है। आवेदक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।</p> <p>सक्षम अग्रेषित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम और कार्यालय की मुहर</p>
तिथि :	दूरभाष सं:
स्थान:	ई मेल आई डी :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं में मुख्य सतर्कता
अधिकारियों (सीवीओ) के पद पर नियुक्ति

वरीयता क्रम और वचन- पत्र

1	आवेदनकर्ता का नाम	
2	जन्म तिथि	
3	अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का वरीयता क्रम *विकल्प हैं-चैनई, कोलकाता और मुम्बई	
	वरीयता 1	
	वरीयता 2	
	वरीयता 3	
4	<u>आवेदक द्वारा वचन पत्र</u> भारत सरकार (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिनांक के पत्र संख्या 15/1/2022 सतर्कता के उत्तर में मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं में सीवीओ के पद के लिए आवेदन किया है। मैं एतदद्वारा यह वचन पत्र प्रस्तुत करता हूं कि मैं उक्त पद पर नियुक्त हेतु अपने नामांकन/चयन के पश्चात उम्मीदवारी से संबंधित अपना आवेदन वापस नहीं लूंगा। तिथि: हस्ताक्षर : स्थान: नाम :	
5	<u>मूल संगठन द्वारा अग्रेषण</u> श्री/श्रीमती..... पदनाम....., जिन्होंने पीएसबी/पीएसआईसी/एफआई में सीवीओ के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन और वचन पत्र को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग को अग्रेषित किया जाता है। सक्षम अग्रेषित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर	
	तिथि:	दूरभाष सं. :-
	स्थान:	ईमेल आईडी:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों(पीएसबी)/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं में मुख्य सतर्कता
अधिकारियों (सीवीओ) के पद पर नियुक्ति

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/मूल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ब्यौरा

i.	<u>अधिकारी का नाम और पदनामः</u>	
ii.	क्या आज की तारीख तक अधिकारी के करियर के दौरान उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। यदि हाँ, तो क्या इसमें सतर्कता से संबंधित मामला शामिल है और क्या कोई शास्ति लगाई गई है और जारी शास्ति और उससे संबंधित ब्यौरे।	
iii.	क्या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित कोई शिकायत अधिकारी के खिलाफ लंबित है, जो राज्य सरकार/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की दृष्टि में आज की तारीख में अधिकारी की सतर्कता स्थिति/उसकी सत्यनिष्ठा पर प्रत्यक्ष प्रभाव/प्रासंगिकता रखता है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
iv.	क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रारंभिक जांच या सतर्कता संबंधी कोई अन्य मामला लंबित है। यदि हाँ, तो लंबित मामले का पूरा ब्यौरा दें।	
v.	क्या अधिकारी के अब तक के करियर के दौरान उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई थी। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा/वर्तमान स्थिति और अंतिम परिणाम का विवरण दें।	
vi.	क्या अधिकारी का नाम सहमत सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में है। यदि हाँ, तो पूरा ब्यौरा दिया जाए।	
vii.	क) क्या अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त है ख) सत्यनिष्ठा प्रमाणित है या नहीं	
viii.	क) क्या अधिकारी को कभी प्रतिनियुक्ति से वंचित किया गया है? बी) यदि हाँ, तो वंचित होने की अवधि	
ix.	उम्मीदवार का एपीएआर/एसीआरः	
क)	एपीएआर/एसीआर तक पूर्ण हैं?	हाँ/नहीं
ख)	किसी भी वर्ष का एपीएआर/एसीआर (पिछले 05 वर्षों में) उपलब्ध नहीं है	
ग)	एसीआर/एपीएआर(ओं) में प्रतिकूल प्रविष्टियां (निकाली गई/नहीं	हाँ / नहीं

	निकाली गई), यदि कोई हो?	
	यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा (कृपया अनुबंध लगाए)	
घ)	पिछले 05 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग	वर्ष / अवधि
		2017-18
		2018-19
		2019-20
		2020-21
		2021-22
10.	संलग्नकों की सूची	
		इस प्रोफार्मा को प्रमाणित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम वाली आधिकारिक मुहर